राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 1583/2025

हेमराज बैरवा —अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत शासन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, स्वायत शासन विभाग, जी–3, राजमहल, रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.01.2025
आदेश की दिनांक : 05.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री ऋषि राज माहेश्वरी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4'ए' के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान कर हस्तगत अपील में संशोधन कर संशोधित अपील प्रस्तुत की गई जिसे स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया गया एवं सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नगरपालिका नैनवा से नगरपालिका, उनियारा में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 50 कि.मी. दूर किया जाकर दिनांक 19.02.2025 (अनुलग्नक–1ए) को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी की पत्नी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, जिनका ईलाज कोटा में चल रहा है, उक्त स्थानान्तरण से अपीलार्थी को चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा (अनुलग्नक–2)। अपीलार्थी की नियुक्ति कार्यकारी अधिकारी, बूंदी के द्वारा की गई थी। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी का स्थानान्तरण करने के लिए समक्ष अधिकारी नहीं है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले में किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित होगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की वरिष्ठता जिलेवार निर्धारित की जाती है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को

निर्देशित करे कि अपीलार्थी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नगरपालिका नैनवा, बूंदी में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील को ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नगरपालिका नैनवा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नगरपालिका उनियारा में प्रशासनिक कारणों से राज्यहित में किया जाकर दिनांक 19.02.2025 को कार्यमुक्त किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में नियमों का उल्लंघन एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। सेवाविधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)